2047 तक विकसित कृषि का रोडमैप तैयार

आईसीएआर के मंच से कृषि मंत्री चौहान ने गिनाए कृषि बदलाव के सात बड़े लक्ष्य

नई दिल्ली, 31 जुलाई. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 98वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-2047 के लिए कृषि क्षेत्र का व्यापक रोडमैप पेश किया. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को केवल खाद्यान्न उत्पादन में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक, नवाचार और जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में भी विश्व अग्रणी बनाना होगा.

अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'किसान देश की आत्मा हैं और वैज्ञानिक उसका मस्तिष्क'. उन्होंने जोर दिया कि जब किसानों का परिश्रम, वैज्ञानिकों का शोध और सरकार की नीतियां एक साथ काम करती हैं, तभी कृषि क्षेत्र में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है. केंद्रीय मंत्री ने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किए. इनमें 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करना, आईसीएआर के प्रत्येक संस्थान से एक परिवर्तनकारी नवाचार तैयार करना, 100वें स्थापना वर्ष तक 10 करोड़ किसानों तक आईसीएआर की तकनीक पहुंचाना, कृषि विज्ञान केंद्रों को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना तथा आईसीएआर ओपन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को मोबाइल पर मुफ्त वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराना शामिल है. उन्होंने नकली बीज और कीटनाशकों की समस्या को गंभीर बताते हुए इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने और ऐसी तकनीक विकसित करने पर बल दियाजिससे किसान खेत पर ही बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच कर सकें. साथ ही उन्होंने आईसीएआर को 2029 तक अपनी तकनीकों, वैक्सीन, नई किस्मों और लाइसेंसिंग के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की आंतरिक संसाधन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य भी सुझाया.

> कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, रामनाथ ठाकुर, भागीरथ चौधरी और एस.पी. सिंह बघेल सहित कृषि वैज्ञानिक और देशभर से आए विशेषज्ञ उपस्थित रहे. शिवराज ने कहा कि विकसित भारत-2047 का सपना तभी साकार होगा, जब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकें तेजी से किसानों के खेतों तक पहुंचें और उनका प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण भारत को मिले.

37.72 लाख अपात्र राशन कार्डधारकों पर कार्रवाई शुरू

लखनऊ, 31 जुलाई. उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू हो गया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य में 37,72,629 लोग ऐसे पाए गए, जो पात्र न होने के बावजूद मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे. यह जानकारी आधार लिंक डिजिटल सत्यापन और विभागीय ऐप के जरिए सामने आई है. केंद्र द्वारा 56,94,540 संदिग्ध राशन कार्डों की पहचान किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ति निरीक्षकों से उनका भौतिक सत्यापन कराया. जांच के बाद पोर्टल पर 37,72,629 लाभार्थियों को अपात्र चिह्नित किया गया. इनमें से 35,37,352 लाभार्थियों का डेटा निरस्त कर दिया गया.

विकास एजेंडे के साथ मोदी से मिले साय

10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना पर मांगा सहयोग

नई दिल्ली, 31 जुलाई. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं और बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की. बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को नई गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया. उनका कहना था कि यह परियोजना प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर सृजित करेगी. इसके अलावा कृषि क्षेत्र को भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध होने से किसानों को लाभ मिलेगा और राज्य की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी.

> मुख्यमंत्री ने बस्तर के उन 461 गांवों का मुद्दा भी उठाया, जहां सुरक्षा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अब तक विद्युत ग्रिड नहीं पहुंच सका है. वर्तमान में इन गांवों में ऑफ-ग्रिड व्यवस्था से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने इन क्षेत्रों में स्थायी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की. साय ने प्रधानमंत्री से रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआईआईए) स्थापित करने का भी अनुरोध किया.

बंगाल में जैश का संदिग्ध दबोचा

शुभेंदु अधिकारी की रेकी के मिले संकेत

कोलकाता, 31 जुलाई. पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने पुरबा बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के एक संदिग्ध सदस्य हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है.

इस कार्रवाई के बाद जांच एजेंसियां एक संभावित आतंकी नेटवर्क और उसके देश-विदेश में फैले संपर्कों की गहन जांच में जुट गई हैं. आरोपी पिछले दो से तीन महीनों से बर्दवान कस्बे के एक आवासीय परिसर में किराए के मकान में रह रहा था और कानून

प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था. बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की कथित रेकी के संकेत होने की बात सामने आई है.

सच जान चुके युवाओं को डराया नहीं जा सकता

सरकार आंदोलन वापस लेने के दौरान किए गए वादे से मुकर गई है : खरगे

नई दिल्ली, 31 जुलाई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर छात्र आंदोलन के बाद प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश का युवा सरकार का सच जान चुके इसलिए उन्हें अब डरा-धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता है.

श्री खरगे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 10 दिन पहले सरकार ने युवाओं पर लाठी-डंडों और पेलेट गन का

इस्तेमाल किया और अब आंदोलन वापस लेने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन वापस लेने के दौरान किए गए वादे से मुकर गई है. उन्होंने कहा कि युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराए जा रहे हैं,

> राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जेन जेड को धमकाकर चुप नहीं करा सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है तथा उनके सोशल मीडिया अकाउंट हटाए जा रहे हैं. श्री गांधी ने कहा, आप भारत का अतीत हैं. भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसे लेकर सावधान रहिए.

ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद

नई दिल्ली, 31 जुलाई. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को उम्रकैद की सजा सुनाई.

आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्या केस में मिली सजा

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि ऐसी घटना थी जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया और

कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए. कोर्ट ने कहा कि दोषी उस हिंसक भीड़ का हिस्सा थे, जिसने सांप्रदायिक तनाव के माहौल में हिंसा, आगजनी और लूटपाट को अंजाम दिया. अदालत के अनुसार अंकित शर्मा पर लगातार और बेरहमी से हमला किया गया था.

40 से अधिक मौतों पर भारत ने पाक को घेरा

भारतीय विदेश मंत्रालय ने निष्पक्ष जांच की मांग की

नई दिल्ली, 31 जुलाई. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के खिलाफ कथित बल प्रयोग के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी प्रशासन की कार्रवाई में 40 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. प्रवक्ता ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के साथ कठोर व्यवहार किया और विरोध प्रदर्शन को सुरक्षा के नजरिये से देखते हुए बल का इस्तेमाल किया. भारत ने कहा कि पीओके के लोगों द्वारा कथित गैर-कानूनी हत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग उचित है और वह इस मांग का समर्थन करता है.

139 भारतीयों को छुड़ाया

भारत ने कहा है कि उसने रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सेना में मजबूरी में काम करने वाले कुल 139 भारतीय नागरिकों को छुड़ाया है और 20 से अधिक अभी भी वहां फंसे हुए हैं. अमेरिका ने वर्ष 2025 से अब तक करीब पांच हजार भारतीय नागरिकों को वापस भेजा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां मीडिया ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रूसी सेना में काम करने वाले 139 भारतीय नागरिकों को अब तक छुड़ाया जा चुका है और बाकी बचे 20 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए बातचीत की जा रही है.

अमेरिका ने चीन, भारत, रूस की कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध

वाशिंगटन, 31 जुलाई. अमेरिका ने ईरान की मदद करने के आरोप लगाते हुए एक भारतीय कंपनी सहित दुनिया की अन्य छह कंपनियों पर प्रतिबंधित लगाने का एलान किया है. इनमें भारत की स्कीज़ ट्रैवल्स एंड लॉजिस्टिक्स

ईरान की मदद करने पर उठाया कदम

प्राइवेट लिमिटेड, रूस की एयर कार्गो प्रो लिमिटेड, ईरान की दादेनेगार स्टार्टअप स्टूडियो और चीन की तीन कंपनियां शंघाई विंग्स इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी, शंघाई एलीट इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी और तांग शिन शामिल हैं.

अमेरिका का आरोप है कि इन्होंने ईरान की सैन्य रसद, हथियारों के हस्तांतरण और क्षेत्रीय अभियानों में मदद की है.

अमेरिका के अनुसार इनमें ईरान की प्रतिबंधित एयरलाइन महान एयर के लिए जनरल सेल्स एजेंट के रूप में कार्य करने वाली कंपनियां और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी एक कंपनी शामिल है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आईआरजीसी को सहारा देने वाले समर्थन नेटवर्क को नष्ट करना है.

सीएआईटी मप्र को मिला नया महासचिव

नई दिल्ली, 31 जुलाई. देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अपने संगठनात्मक विस्तार और व्यापारी हितों को और अधिक मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए

योगी राजीव खंडेलवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश के युवा व्यापारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगी राजीव खंडेलवाल को सीएआईटी मध्यप्रदेश का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है. इस नियुक्ति की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित संगठन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में की गई, जहां देशभर से आए व्यापारिक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने इसकी सराहना की. कार्यक्रम में सीएआईटी के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल की विशेष उपस्थिति रही. वहीं,

सीएआईटी मध्यप्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन ने योगी राजीव खंडेलवाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में संगठन प्रदेश के व्यापारियों के बीच और अधिक मजबूत होगा तथा व्यापारिक हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा. अपनी नियुक्ति पर योगी राजीव खंडेलवाल ने राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा, समर्पण और सक्रियता के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे.

सशक्त गांव ही समृद्ध सिंगरौली और विकसित मध्यप्रदेश की आधारशिला : रामनिवास

नवभारत न्यूज़

सिंगरौली 31 जुलाई। सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शासन में शुक्रवार को विकास कार्यों को नई गति देते हुए विधायक रामनिवास शाह के मुख्य आतिथ्य में कुल 61.61 लाख रुपये की लागत से दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन एवं शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। भूमिपूजन के दौरान 37.49 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नवीन छठ घाट तथा 24.12 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित पीसीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि छठ घाट बनने से श्रद्धालुओं को छठ महापर्व सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं पीसीसी सड़क और नाली निर्माण से जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ होगी, आवागमन सुगम बनेगा तथा क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था में भी सुधार आएगा। इस अवसर पर विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़क, नाली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

आज का इतिहास

- **1461:** एडवर्ड चतुर्थ इंग्लैंड के राजा बने.
- **1591:** मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि उर्फ़ी शीराजी का निधन.
- **1774:** ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की.
- **1831** :नए लंदन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया.
- **1882:** स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म.
- **1899:** प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जन्म.
- **1913:** प्रसिद्ध फ़िल्मि अभिनेता एवं फिल्म निर्माता-निर्देशक भगवान दादा का जन्म.

स्पेन पहुंचने की कोशिश में 19 प्रवासियों की मौत

मैड्रिड. मोरक्को से स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र स्यूटा में प्रवेश की कोशिश के दौरान बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है. अधिकारियों के अनुसार सीमा पार करने का प्रयास कर रहे लगभग 49,000 प्रवासियों के बीच मची अफरातफरी, भगदड़ और समुद्री रास्ते से प्रवेश की कोशिशों के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्पेन सरकार ने स्यूटा में अतिरिक्त सैनिकों और पुलिस बल की तैनाती की है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अचानक बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने से राहत और आश्रय की व्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ गया है.

गाजियाबाद में 5000 करोड़ का घोटाला

नई दिल्ली, 31 जुलाई. कवि नगर थाने में वैदिक आयुरक्योर कंपनी और एक्सिस ई-कॉर्पोरेशन के खिलाफ पांच हजार करोड़ रुपये के बड़े घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. अधिवक्ता महेश कुमार वर्मा की शिकायत पर दस लोगों को नामजद किया गया

- **दो कंपनियों पर लगे आरोप**
- **10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज**

है. इन पर लोगों को निवेश के नाम पर ठगने का आरोप है.

एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अधिवक्ता महेश कुमार वर्मा के मुताबिक कंपनियों ने नौ हजार रुपये की आईडी पर प्रतिमाह 1100 रुपये और घरेलू सामान पर 33 फीसदी छूट का वादा किया था. शुरुआत में निवेशकों को लाभ मिला, जिससे उनका विश्वास बढ़ा. पंकज सोनी सेठ ने गाजियाबाद में कई बैठकें आयोजित कीं. कंपनियों ने विश्वास जमाने के लिए ग्रोसरी की दुकानें भी खोलीं.

> निवेशकों से ग्रोसरी स्टोर के नाम पर लाखों रुपये के समझौते किए गए. बाद में कंपनियां धीरे-धीरे गायब हो गईं और निवेशकों का पैसा हड़प लिया. महेश वर्मा का आरोप है कि कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैजान खान पर दुबई भाग गए हैं. वह व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजकर निवेशकों को पैसे वापस मिलने का आश्वासन दे रहा है. हालांकि कंपनी ने अपना ऑनलाइन सिस्टम भी बंद कर दिया है. फैजान खान सहित कुल दस लोगों को इस धोखाधड़ी का मुख्य षडयंत्रकर्ता बताया गया है. इनके खिलाफ भारत के कई जिलों में भी एफआईआर दर्ज हैं. शिकायतकर्ता महेश कुमार वर्मा ने स्वयं 6.50 लाख रुपये का निवेश किया था. उनके अलावा, हरिश हितैषी ने दो लाख रुपये और मांगेराम ने तीन लाख रुपये का निवेश किया. संजय एलआईसी पिलखुवा और उनके स्टाफ ने करीब 36 लाख रुपये लगाए. आनंद राणा की टीम ने लगभग एक करोड़ रुपये का निवेश किया. गाजियाबाद जिले के सैकड़ों लोगों ने इन कंपनियों में करोड़ों रुपये का निवेश किया था.

नाम सुधार सूचना

मैं सूर्य नारायण पटेल पिता रामपती पटेल ग्राम पचोखर तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) का निवासी हूँ, मैं सेना में कार्यरत हूँ, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र सर्वेश पटेल का नाम कुमार सर्वेश पटेल तथा शिप्रा पटेल का नाम कुमारी शिप्रा पटेल अभिलिखित है, जबकि पुत्र एवं पुत्री का नाम शैक्षणिक रिकार्डों में व अन्य रिकार्डों में सर्वेश पटेल एवं पुत्री का नाम शिप्रा पटेल है। अतः मेरे पुत्र एवं पुत्री दोनों नामों में कुमार व कुमारी हटाया एवं सर्विस रिकार्ड में पुत्र का नाम सर्वेश पटेल तथा पुत्री का नाम शिप्रा पटेल लिखा व पढ़ा जाये।

भवदीय
सूर्य नारायण पटेल

CHANGE OF ADDRESS

1. **I sachin pandey** is legally of no **15758739k** rank sigmn name sachin pandey presently residing at Gram bauliha post karsara dist satna m.p pin code 485447 do heraby solemnly affirm and state on oath as follows; -
2. That I have changed my adderss from bailiha in my service documents my correct address Aadhar card, driving licence etc, bauliha may please be recorded as per my Aadhar number 742534187651 (copy Att)
3. That I am producing this affidavit for the purpose of evidence for change adderss
4. That the adderss **bauliha and bailiha** pertains to be one village,
5. That I shall at all times here after in all records deeds writing and in all proceeding dealing with transactions private as well as under all occasions what so ever be known as only to **bauliha.**
6. that what is stated above is true is true and correct to best my knowledge information and belief nothing material has been concealed there from

Place: satna
Date: 30.07.2026

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक/प्रवा./अपर कले./26 सतना दिनांक 27/07/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिलीप मिश्रा पिता श्री ओ.एन.मिश्रा उम्र-43 वर्ष (08/10/1982) निवासी-ग्राम सिद्धार्थ नगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) एवं आवेदिका संचिता मिश्रा पिता श्री रामभवन मिश्रा उम्र-29 वर्ष (01/03/1987) निवासी-मारुति नगर सतना जिला सतना (म.प्र.) के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विवाह पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 15/07/2026 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 31/08/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विवाह पंजीयन अधिकारी
जिला-सतना (म.प्र.)

Presiding Officer : श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS A/0000007/2026)

गंगा प्रसाद पटेल ....वादी

Vs

फूलचंद पटेल ..... प्रतिवादी

Process Id- /2026

पेशी दिनांक :-07.09.2026

प्रेषिती-

(1) अनुरोध पटेल पिता स्वामीदीन पटेल पता- निवासी ग्राम भरौली तह.व जिला मैहर (2) ओमप्रकाश पटेल पिता रघुनाथ पटेल पता- निवासी ग्राम भरौली तह.व जिला मैहर (3) वीरेन्द्र पटेल पिता प्रमोद पटेल पता- निवासी ग्राम भरौली तह.व जिला मैहर (4) कैलाश पटेल पिता भगवानदीन पटेल पता- निवासी ग्राम भरौली तह.व जिला मैहर

यह कि प्रार्थी गंगा प्रसाद पटेल ने आपके विरूद्ध आर सी एस ए के लिये वाद संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें. यह आज तारीख 22 जुलाई 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

न्यायालय की मुद्रा

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश मैहर, जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें :- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

कार्यालय नगर परिषद् डोला, जिला-अनूपपुर (म.प्र)

cmodola@mpurban.gov.in

क्र.1207 / न0परि0 / 2026 डोला, दिनांक 30/07/2026

लोक सूचना / पब्लिक नोटिस

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के संबंध में) नगर परिषद डोला के अंतर्गत आने वाले समस्त नागरिकों, भवन निर्माताओं, ठेकेदारों शासकीय / अर्धशासकीय विभागों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमम 2016 के तहत नगर परिषद क्षेत्र में C&D वेस्ट का सही निपटान करना अनिवार्य है। अत: आप सभी से अपेक्षा है, कि निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें :- **1. खुले में मलबा फेंकना प्रतिबंधित :-** नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानो सड़कों, फुटपाथ, नाले या खाली भूखंड पर निर्माण सामग्री (रेत, गिट्टी, ईंट) अथवा मलबे (C&D वेस्ट) को बिना अनुमति के डालना पूर्णत: प्रतिबंधित है। **2. अपशिष्ट का पृथक्करण (Segregation)** :-निर्माण या तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे को अन्य सामान्य कचरे (गीला / सूखा कचरा) के साथ न मिलाएं। इसे अलग से संग्रहित करके रखें। **3. सामग्री को ढक कर रखना :-** निर्माण स्थल पर रखी निर्माण सामग्री या मलबे को तिरपाल या ग्रीन नेट से ढक कर रखना अनिवार्य है ताकि धूल का प्रदूषण न फैले। **4. निर्धारित शुल्क एवं परिवहन :-** यदि आपके यहाँ निर्माण या तोड़फोड़ का कार्य हो रहा है तो मलबे के निपटान के लिए नगर परिषद द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान करके परिषद द्वारा चिन्हित स्थान पर ही मलबा डंप करें। 5. बड़े अपशिष्ट उत्पादक (Bulk Generators): ऐसे संस्थान या व्यक्ति जो प्रतिदिन 20 टन या किसी एक परियोजना में 300 टन से अधिक मलबा उत्पन्न करते हैं उन्हें नगर परिषद को एक कचरा प्रबंधन योजना (Waste Management Plan) सौंपनी होगी।

:: उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई :: यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों या प्रतिबंधित स्थानों पर मलबा फैलाते हुए पाया जाता है, तो नगर परिषद डोला द्वारा जुर्माना राशि उदा. 500/- रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही, बार-बार उल्लंघन करने पर वैधानिक/कानूनी कार्रवाई की जाएगी। "आइए, हम सब मिलकर अपने नगर परिषद डोला को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करें।"

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद डोला ,जिला-अनूपपुर म0प्र0

कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन जिला मैहर

क्र.1877/ स्था/2026 अमरपाटन दिनांक 31/07/2026

निविदा सूचना

महाविद्यालय द्वारा पुस्तके एवं स्टेशनरी क्रय हेतु पंजीकृत फर्मों से मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म तिथि एवं अन्य विस्तृत जानकारी म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग के साइट https://highereducation.mp.gov.in/ विज्ञप्ति एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रन्थपाल **प्राचार्य**

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन जिला मैहर (म.प्र.)

जेम पोर्टल के माध्यम से आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन योजना क्रमांक 5765 अन्तर्गत प्रयोगशाला उपकरण/सामग्री क्रय संबंधी सूचना

//निविदा प्रकाशन//

महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन योजना क्रमांक 5765 अन्तर्गत प्रयोगशाला **उपकरण/सामग्री** क्रय किया जाना है जिसके लिये जेम पोर्टल पर खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा का विवरण निम्नानुसार हैः-

- * बिड क्रमांक - GEM/2026/B/7833603
- * निविदा प्रारम्भ दिनांक - 25/07/2026
- * निविदा समाप्ति दिनांक - 14/08/2026

सभी इच्छुक एवं प्रदायकर्ताओं से अनुरोध है कि जेम पोर्टल पर जाकर निविदा से सबंधित नियम एवं शर्तों का अवलोकन करें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निविदा में भाग ले। ऑनलाईन प्रकाशित निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय प्राचार्य शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली जिला सीधी (म.प्र.) का होगा।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय मझौली

प्रारूप छ-3

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-ग (3) के अंतर्गत)
सदस्यता सूची पर आपत्ति हेतु सदस्यों को सूचना का प्रारूप
कार्यालय-रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एम्पलाईज कन्ज़ूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड एन.सी.एल सिंगरौली पंजीयन क्रमांक 237 दिनांक 07.12.1963

क्रमांक/नि.अ./2026/क्यू दिनांक 31.07.2026

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन आम सभा में कराया जाना है। साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतएव, सोसाइटी की सदस्यता सूची का प्रकाशन सोसाइटी कार्यालय के नोटिस बोर्ड, उप/सहायक पंजीयक सहकारी सोसाइटी कार्यालय, संबंधित विकासखंड कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा मोरवा के सूचना पटल पर दिनांक 31.07.2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 31.07.2026 से दिनांक. 08.08.2026 तक सोसाइटी कार्यालय में श्री अजीत कुमार सिंह लेखापाल या कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता कलेक्ट्रेट भवन प्रथम तल क्र.-21 जिला सिंगरौली में मुझे सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण सोसाइटी कार्यालय में दिनांक 10.08.2026 को 12:00 PM बजे से किया जायेगा। आपत्तियों के निराकरण के दिन सदस्य उपस्थित हो सकते हैं। आपत्तियों के संबंध में पृथक से व्यक्तिशः सूचना नही दी जावेगी। यदि किसी सदस्य की कोई आपत्ति है और वह उपस्थित नहीं होता है तो भी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा।

पी.के. मिश्रा
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
एम्पलाईज कन्ज़ूमर्स को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड एन.सी.एल सिंगरौली